

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रामोत्थान शिविर/2026/23

प्रकरण सं:- 15/2026
दिनांक:- 27/1/2026

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी एस सिणधरी व भू.अ.
नि. पामलाकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाबोली मईयो की
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 51 व 9
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>लाबोली मईयो की</u>	<u>51 व 9</u>	<u>467/76</u> <u>466/76</u>	<u>बाबूलाल</u>	<u>बाबूराम</u>

सर्वेश्वर

(सर्वेश्वर निम्बाक)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

क्रमांक:- सम./2026/ 24-26
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 27/1/26

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्राथी बाबूराम/रावाडाम/माद एस सिणधरी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

सर्वेश्वर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी